2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

ोठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
ादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आरटीए व 136 एलआरए
करण संख्याः- 128/2025

1 गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएनजे, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएनजे, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-: वादीगण

बनाम

1 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 आत्मासिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ
3 हरपाल सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ

-: प्रतिवादीगण

पस्थित :-
1. श्री खुशप्रीत सिंह संधू - अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय कार्यवाही - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी

-:निर्णयः-

दिनांक 19.02.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी धिनियम सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट इन कथनो के साथ पेश किया कि चक 3 केएनजे, हसील हनुमानगढ के खाता सख्या 50/60, खाता आत्मा सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 074-2077, पत्थर नम्बर 119/266 (76) किला नम्बर 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर म्बर 120/266 (77) किला नम्बर 21 से 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 120/267 30) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, /1/.228, 4/2/.025, 5/1/.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 7 से 9/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल .036 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तारा सिह पुत्र सरदार चतर सिंह के नाम 25 बीघा आराजी चक नम्बर 3 केएनजे मे दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें पत्थर नम्बर 119/266 किला म्बर 25, पत्थर नम्बर 120/266 किला नम्बर 21 से 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 120/267 किला नम्बर 1 से 9, 12 से 19, 22 से 25/.253 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व िकार्ड थी जिसमें तारा सिंह द्वारा 12 बीघा आराजी वादी सख्या 1 व वादी सख्या 2 की दादी लवन्त कौर को बहिस्सा बराबर दिनांक 22.03.1967 को बेचान कर दी जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद जरिये इन्तकाल सख्या 136/30.03.1987 दर्ज हुआ तथा तारा सिंह द्वारा चक म्बर 3 केएनजे के पत्थर नम्बर 120/267 किला नम्बर 6, 12 से 19, 22 से 25/.253 क्टेयर प्रत्येक यानि 13 बीघा आराजी आत्मा सिंह पुत्र जरनैल सिंह व हरपाल सिंह पुत्र प्रीतम िंह को बहिस्सा बराबर दिनांक 22.06.1967 को बेचान कर दी जिसका राजस्व रिकार्ड में दरामद हुआ तथा आत्मा सिंह व हरपाल सिंह द्वारा खरीद की गई 13 बीघा आराजी एंव

दीगण द्वारा खरीद की गई 12 बीघा आराजी में एक ही खाता में सम्मिलित थी तथा आत्मा
ह के वारिसान व हरपाल सिंह द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि
क्त आराजी का उनका खाता अलग किया जावे जिस पर दिनांक 04.11.1977 को जरिये क्रमांक
800, ए.आर.ओ. साहब द्वारा चक नम्बर 3 केएनजे के पत्थर नम्बर 120/267 किला नम्बर 6,
2 से 19, 22 से 25/.253 हैक्टेयर प्रत्येक यानि 13 बीघा आराजी को सांझे खाते जो कुल
5 बीघा का था, से खारिज कर हरजिन्द्र सिंह आदि के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये
सके अमलमदरामद करने की स्वीकृति दिनांक 22.11.1977 को जारी हुई तथा स्वीकृति व
ादेश की पालना में दिनांक 31.01.1978 को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया जिसके
रिये उक्त 13 बीघा खरीदशुदा आराजी जो वादीगण के खाते के साथ सम्मिलित थी से काटकर
लग खाता कायम किया गया परन्तु उक्त खाते से आत्मा सिंह व हरपाल सिंह का नाम
लमजन नही किया गया जबकि उनके द्वारा खरीदशुदा 13 बीघा आराजी इस खाता से काटकर
नके वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई, इस कारण खाता अपवादित हो गया। वादीगण के नाम
जस्व अभिलेख में दर्ज आराजी का खाता अपवादित होने के कारण वादीगण के हितो पर विपरित
भाव पड रहा है तथा वादीगण समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही वितीय सुविधा का
ाभ तथा कृषि भूमि को रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे है, आदि आदि
थ्यों पर वाद पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी
सं. 2, 3 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई गई। वाद पत्र न्यायालय द्वारा पत्रांक राजस्व/विविध राजकाल 17473813 दिनांक 29.08.
2025 द्वारा तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित
किया कि चक 3 केएनजे के खाता सख्या 50/60, पत्थर नम्बर 119/266 (76) किला नम्बर
25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 120/266 (77) किला नम्बर 21 से 23, पत्थर नम्बर
120/267 (80) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228,
3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 7 से 9 कुल 3.036
हैक्टेयर आराजी में से प्रार्थी सख्या 1 गुरजन्ट सिंह 1.518 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 भूपेन्द्र सिंह
के कब्जे में 1.518 हैक्टेयर आराजी कब्जे में है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात
कायम नही की गई। बहस सुनी गई, दौराने बहस वादी पक्ष ने वाद पत्र वादीगण मुताबिक डिक्री
किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वादीपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तारा सिंह
के नाम चक 3 केएनजे में पत्थर नम्बर 119/266 किला नम्बर 25 व पत्थर नम्बर 120/266
किला नम्बर 21 से 23 व पत्थर नम्बर 120/267 किला नम्बर 1 से 9, 12 से 19, 22 से
25 आराजी थी जिसमें से 12 बीघा आराजी गुरजन्ट सिंह व बलवन्त कौर को दिनांक 22.03.
1967 को बैय कर दी, जिसका इन्तकाल सख्या 136/30.03.1987 दर्ज हुआ तथा तारा सिंह के
नाम शेष रही आराजी दिनांक 22.06.1967 को आत्मा सिंह व हरपाल सिंह को बैय कर दी
जिसके उपरान्त आत्मा सिंह के वारिसान हरजिन्द्र सिंह व हरपाल सिंह द्वारा अपना खाता अलग
कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 04.11.
1977 को पत्थर नम्बर 120/267 किला नम्बर 6, 12 से 19, 22 से 25 कुल 13 बीघा
आराजी सांझे खाते से खारिज कर हरजिन्द्र सिंह आदि के नाम करने बाबत दिनांक 22.11.1977
को आदेश दिया जिसकी पालना दिनाक 31.01.1978 को की गई तथा आत्मा सिंह व हरपाल
सिंह द्वारा क्रय की गई आराजी का आत्मा सिंह के वारिसान हरजिन्द्र सिंह आदि व हरपाल सिंह के
वारिसान द्वारा 3 केएनजे में अन्य आराजी प्राप्त की गई परन्तु इसके उपरान्त आत्मा सिंह व

पाल सिंह का नाम जो राजस्व रिकार्ड से कलमजन होना चाहिए था, सहवन से खाते में अंकित गया, इस कारण वाद पत्र वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना तथा खातेदार आत्मा ह व हरपाल सिंह का नाम कलमजन किया जाना न्यायोचित है।

उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत ता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर चक 3 केएनजे, तहसील नुमानगढ के खाता सख्या 50/60, खाता आत्मा सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077, थर नम्बर 119/266 (76) किला नम्बर 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 120/266 7) किला नम्बर 21 से 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 120/267 (80) किला नम्बर /1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/. 25, 5/1/.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 7 से 9/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 3.036 हैक्टेयर राजी से आत्मा सिंह व हरपाल सिंह का नाम कलमजन कर 3.036 हैक्टेयर आराजी की घोषणा दीगण गुरजन्ट सिंह व भूपेन्द्र सिंह के नाम बहिस्सा बराबर किये जाने के आदेश दिये जाते है था इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से ारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद ादि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज ादि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल ुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

5

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

प्रकरण संख्याः- 128/2025

1 गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएनजे, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएनजे, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-: वादीगण

बनाम

1 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2 आत्मासिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ

3 हरपाल सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए. व 136 एल.आर.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- चक 3 केएनजे, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 50/60, खाता आत्मा सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077, पत्थर नम्बर 119/266 (76) किला नम्बर 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 120/266 (77) किला नम्बर 21 से 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 120/267 (80) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 7 से 9/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 3.036 हैक्टेयर आराजी से आत्मा सिंह व हरपाल सिंह का नाम कलमजन कर 3.036 हैक्टेयर आराजी की घोषणा वादीगण गुरजन्ट सिंह व भूपेन्द्र सिंह के नाम बहिस्सा बराबर किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.02.2026 को जारी किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ